



उ०प्र० पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड

(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग,
लखनऊ।

सं०:145- विनियम एवं औ०सं०/पाकालि/2011-07-विनियम/88

दिनांक 04-11-2011

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के कार्यालय ज्ञाप सं०: 32-विनियम एवं औ०सं०/पाकालि/2011-07- विनियम/88 दिनांक 14-06-2011 के स्तम्भ-2 में प्राविधानित DOEACC के "O" लेवल कम्प्यूटर प्रमाण-पत्र की अर्हता के स्थान पर "O" लेवल अथवा समकक्ष एक वर्षीय अर्हता एतद्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।

2. कार्यालय ज्ञाप सं०: 32- विनियम एवं औ०सं०/पाकालि/2011-07- विनियम/88 दिनांक 14-06-2011 के अन्य प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

नवनीत सहगल

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

सं०:145(1):- विनियम एवं औ०सं०/पाकालि/2011 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ०प्र० शासन बापू भवन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के सलाहकार।
3. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०/उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
5. समस्त निदेशकगण उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा/केस्को, कानपुर।
7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, बी-17 जे रोड सेक्टर-सी महानगर विस्तार, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन (विस्तार), लखनऊ।
9. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अराजपत्रित)/महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/सलाहकार (औ०सं०/काविनी), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/ट्रान्सको।
11. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को उनके पत्रांक-777/पाकालि/बैठक (87)/2011 दिनांक 02.11.2011 की मद संख्या- सत्तासी (112)/11 के संदर्भ में।
12. अधिशासी अभियन्ता (वेबसाइट) को कारपोरेशन की वेबसाइट पर लोड किये जाने हेतु।
13. पत्रावली संख्या-09-विनियम/2011 टी०सी०।



(जावेद अहमद)

अनु सचिव